मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा विभागाध्यक्षों आदि को सम्बोधित परिपत्र क्रमांक 28-6-78/जी0एस0-II दिनांक 16 मार्च, 1978 की प्रति ।

विषय : सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों को नसजोड़/नलखोल आप्रेशन करवाने के लिए विशेष अवकाश प्रदान करना ।

महोदय,

मुझे निदेश हुए हैं कि उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 7502-4 जी। एस0 II-75/24167, दिनांक 7 अगस्त, 1975 की ओर दिलाऊं जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी नसबन्दी आप्रेशन फेल होने पर पुनः आप्रेशन करवाता है, तो उस समय भी उसे 6 दिन का विशेष अवकाश प्रदान किया जायेगा । जब सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पुरुष कर्मचारियों की नसजोड़ आप्रेशन के लिए 14 दिन और महिला कर्मचारियों को नलखोल आप्रेशन के लिए 21 दिन का विशेष अवकाश प्रदान किया जाए । इस प्रकार का लाभ कन्टीनजेंट पेड स्टाफ को भी मिलेगा ।

भवदीय

हस्ता०

उप सचिव, सामान्य प्रशासन

कृते0 मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

एक-एक प्रति :—

वित्तायुक्त, राजस्व, हरियाणा, सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ भेजी जाती ।